



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 835/17/2019/प.गो.

रायपुर, दिनांक 20/12/2019

—:: विज्ञप्ति ::—

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 05/2019/परीक्षा दिनांक 02/03/2019 द्वारा ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2019 के विज्ञापन जारी किए गये थे। उक्त पदों हेतु दिनांक 26/11/2019 को आयोजित परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प/विकल्पों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन आपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत है—

- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि— 21 दिसंबर 2019 अपराह्न 12:00 बजे से
- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि— 30 दिसंबर 2019 रात्रि 12:00 बजे तक

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

20.12.19
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी परीक्षा-2019 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि – 21 दिसंबर 2019 अपरान्ह 12:00 बजे से
ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि – 30 दिसंबर 2019 रात्रि 12:00 बजे तक

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

1. परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के समय प्राप्त User ID तथा Password की प्रविष्टि कर लॉगिन करना होगा।
3. लॉगिन करने के पश्चात प्राप्त वेब पेज पर अभ्यर्थी को निम्न टेब (खण्ड) प्राप्त होंगे—
 - Raise Objection
 - Objection Summary
 - Make Payment
4. लॉगिन करने के पश्चात दाएं कोने में अभ्यर्थी का रोल नम्बर व नाम दर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और नाम की पुष्टि कर लें।
5. प्रथम टेब (Raise Objection) में अभ्यर्थी के समक्ष समस्त 150 प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न के समक्ष आयोग द्वारा जारी उत्तर दर्शित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष बटन पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज की जा सकती हैं। उक्त बटन पर  क्लिक करने के पश्चात एक नई विंडो दर्शित होगी। विंडो में अभ्यर्थी को आपत्ति के प्रकार का चयन करना होगा। आपत्ति के प्रकार निम्नवत हो सकते हैं—
 - a. प्रश्न गलत है।
 - b. प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है।
 - c. प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है
 - d. प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है।
 - e. आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है।
 - f. प्रश्न के हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता है।
6. किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी को **Please Enter Reason for Objection** बॉक्स में आपत्ति के समर्थन में रिमार्क टाईप करना होगा। अभ्यर्थी को आपत्ति के समर्थन में प्रमाण स्वरूप अपलोड किए जाने वाले सुसंगत अभिलेख के स्रोत का विवरण प्रविष्टि करना होगा जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरूप प्रयुक्त अभिलेख से संबंधित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, संस्करण, प्रकाशन तिथि, पृष्ठ संख्या इत्यादि का उल्लेख करना होगा। यदि प्रमाण स्वरूप अपलोड किये जाने वाले अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिये गये हो, तो अभ्यर्थी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में उस वेबसाइट में दिये गये कंटेन्ट को डाउनलोड कर प्रिंट कर अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को आपत्ति के समर्थन में दस्तावेजों को अपलोड की सुविधा दी जाएगी। जिनकी अधिकतम क्षमता 1MB होगी। समस्त दस्तावेज Pdf/jpg फार्मेट में ही अपलोड किए जाएंगे। जिस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उस प्रश्न पर फ्लेग दर्शित होगा।

7. समस्त ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने के बाद समस्त प्रश्न, आपत्ति का प्रकार मय सूची द्वितीय टेब (Objection Summary) में दर्शित होगी। इस टेब में अभ्यर्थी उन प्रश्नों को हटा सकता है, जिसमें उसने गलती से आपत्ति दर्ज कर दी है।
8. तृतीय टेब (Make Payment) पर समस्त ऑनलाइन आपत्तियों के शुल्क (50/-प्रति प्रश्न + 6/- पोर्टल शुल्क) भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी।
9. शुल्क भुगतान करने के पश्चात दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित रसीद/पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा।
10. अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न रूपये 50/- दावा-आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही प्रत्येक लॉगिन पर रूपये 6/- पोर्टल शुल्क एवं चुने गए भुगतान के तरीके के आधार पर पेमेन्ट गेटवे शुल्क देना होगा।
11. एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बार-बार लॉगिन कर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रूपये 6/- पोर्टल शुल्क एवं चुने गए भुगतान के तरीके के आधार पर पेमेन्ट गेटवे शुल्क का भुगतान करना होगा।
12. कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
13. अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान न किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयमेव खारिज हो जाएगी एवं इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

20.12.19
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

रायपुर